UPVR010055942026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, वाराणसी

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1840/2026

मोहसिन अब्बास पुत्र बन्ने निवासी करारी, मंझनपुर, कौशाम्बी।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

प्रति

उ0प्र0 राज्य

.....अभियोजन,

मुकदमा अपराध संख्या–86/2026
धारा–109(1) बी.एन.एस.
व 3/5ए/8 गौवध नि0 अधि0
थाना–रामनगर, जिला–वाराणसी।

01–07–2026

1– यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **मोहसिन अब्बास** की ओर से उपरोक्त मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि यह उसका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ–पत्र दाखिल किया गया है।

3– अभियोजन कथानक के अनुसार, वादी आदित्य कुमार राय के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 02.04.2026 को उनके व सह हमराहियान के द्वारा बंदरगाह मोड़ के पास वाराणसी क्षेत्र में आपरेशन चक्रव्यूह के अंतर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु की चेकिंग की जा रही थी तभी एक संदिग्ध ट्रक आता दिखायी दिया जिसे रूकने का इशारा किया तो पुलिस वालों को देखकर ट्रक चालक गति बढ़ाते पुलिस वालों की तरफ जान से मारने की नियत से मोड़ दिया। गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति चिल्लाया कि नौशाद गाड़ी चढ़ा दो नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। पुलिस द्वारा उक्त ट्रक का पीछा करने पर कुछ दूर ट्रक को ले जाकर खड़ाकर ट्रक में से दो व्यक्ति उतरकर झाड़ियों की तरफ भागने लगे। पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया तथा दूसरा व्यक्ति भाग गया। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम नौशाद अहमद बताया जिसकी जामातालाशी से एक अदद मोबाईल व 620 रूपये नकद बरामद किया गया। पूछने पर बताया कि वे लोग ट्रक में गोवंशीय पशुओं की तस्करी करके वध हेतु बिहार ले जा रहे थे। भागने वाले व्यक्ति के बारे में बताया कि उसका नाम मोबिन है जो ट्रक का खलासी है। उक्त ट्रक में से कुल 34 राशि गोवंश बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्त नौसाद ने बताया कि ये जानवर मोहसिन अब्बास के हैं और ट्रक भी उसी का है तथा मोहसिन अब्बास के कहने पर उक्त गोवंश को वध हेतु बिहार ले जा रहे थे। पुलिस द्वारा उसी दिन अभियुक्त मोबिन अहमद को गिरफ्तार किया गया तथा उसके पास से एक अदद देशी तमंचा, एक अदद जिन्दा कारतूस, एक अदद मोबाईल फोन व 130/–रूपया नगद बरामद किया गया।

Digitally signed by SANJEEV SHUKLA
Date: 2026.07.04 16:52:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4— प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत हेतु आधार लिया गया है कि उसने कोई जुर्म कारित नही किया है, तथाकथित घटना से उसका कोई वास्ता सरोकार नही है। प्रार्थी/अभियुक्त कथित ट्रक का स्वामी है तथा ट्रक का रजिस्ट्रेशन उसके नाम से है। घटना वाले दिन वह ट्रक पर नही था और ना ही उसने ट्रक पर किसी प्रकार का गोवंश लादा था। प्रार्थी/अभियुक्त का ट्रक खाली था। घटना पूरी तरह से झूंठी तथा मनगढ़ंत है तथा घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है। सह–अभियुक्त की नियमित जमानत स्वीकार की जा चुकी है। उक्त अपराध में प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाए।

5— विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त पर सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वध हेतु गोवंश का प्रवहरण किये जाने का अभियोग है। घटना में प्रयुक्त ट्रक सं0–UP73A6097 से 34 राशि गोवंश बरामद हुए हैं। प्रार्थी/अभियुक्त उक्त ट्रक का वाहन स्वामी है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अभियुक्त का इस मुकदमें के अतिरिक्त अन्य मुकदमों का आपराधिक इतिहास है। अतः अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

6— उभयपक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7— मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, सामग्री को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, मेरी राय में प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आ दे श</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **मोहसिन अब्बास** द्वारा उपरोक्त मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक : 01–07–2026

(संजीव शुक्ला)
सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी।

J.O. Code-UP1900

Steno-Gaurav Maurya